कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1080/2021/10–11/ 3944 भोपाल, दिनांक 22/11/2022

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– छिन्दवाड़ा जिले में तन्सरा से नोनीछापर मार्ग के निर्माण/उन्नयनीकरण हेतु 3.082 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPC 097/2021-BHO/ दिनांक 29.12.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1	Recommendation of concerned CCF/CF (in part-III) shall be submitted & uploaded on e-portal.	प्रकरण में चाहे अनुसार मुख्य वनसंरक्षक छिन्दवाड़ा की अनुशंसा पोर्टल में अपलोड कर दी गई है तथा हार्डकॉपी में प्रेषित है।
2	As per DSS analysis, the proposed road is falling in Satpura-Melghat Tiger Conrridor. So, recommendation of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित क्षेत्र सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरीडोर की कुल लम्बाई 7.5 कि.मी. मे से 1.24 कि.मी. लम्बाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपनी अशासकीय टीप क्रमांक/849 दिनांक 21.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) से अभिमत दिया गया है कि कॉरीडोर क्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग के वनभूमि के हिस्से में 02 नग बाक्स कल्वर्ट (50X8.4X5M) का निर्माण, पहाड़ी की तरफ 5.00 मीटर ऊँचाई की फैंसिंग का निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाऐं जाने हेतु अभिमत दिया गया है। अतः प्रकरण में वन्यप्राणी शाखा द्वारा दिए गए अभिमत अनुसार इस शर्त को सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त में अधिरोपित करने का कष्ट करें।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

22/11/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1080 / 2021 / 10–11 / 3945 भोपाल, दिनांक 22/11/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पूर्व छिन्दवाड़ा / पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ. / स.) संभाग क्रमांक–1, खजरी चौक के पास, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

22/11/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नही।(प्रकरण 40 हे. से कम होने के कारण मुख्य वन संरक्षक का स्थल निरीक्षण आवश्यक नही है)
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	पूर्व छिंदवाड़ा वनमंल अंतर्गत तंसरा–नोनीछापर मार्ग रकबा 3.082 हे. का आवेदक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग कमांक 1 छिंदवाड़ा का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
दि/8/1/22 छिंदवाड़ा वनवृत्त

छब्बीस–२ सचिवालय

का विभाग

विषय : छिन्दवाड़ा जिले में तन्सरा से नोनीछापर मार्ग के निर्माण हेतु 3.082 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

पूर्व पृष्ठ सेः–

उपरोक्त प्रस्ताव ग्रामीण सड़क निर्माण का है। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 7.5 कि.मी. में से 1.24 कि.मी. लम्बाई में पेंच–सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कॉरीडोर के अंतर्गत आता है। कॉरीडोर के इस भाग में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं भारत सरकार द्वारा जारी ईको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इन्फास्ट्रक्चर आन वाइल्ड लाईफ गाइड लाईन के अनुसार मेटिगेशन मेजर्स के प्रावधान किये जाने के निर्देश है।

उक्त संबंध में वनमण्डलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा वनमण्डल छिन्दवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/3360 दिनांक 12.10.2022 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पत्र दिनांक 04.10.2022 के अनुसार दिनांक 29.03.2022 को किये गये संयुक्त निरीक्षण प्लान 'ब' में कॉरीडोर क्षेत्र के अंतर्गत मार्ग के वनभूमि हिस्से में चैनेज 3+140 से 4+600 तक 02 नग बाक्स कल्वर्ट (50 X 8.4 X 5M) का निर्माण, पहाड़ी की तरफ 5.00 फीट उंचाई की फैंसिंग का निर्माण एवं साइन बोर्ड लगाये जाना प्रस्तावित किया गया है, जो वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन्न की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः उक्तानुसार मेटिगेशन मेजर्स का प्रावधान किये जाने की शर्त पर मार्ग निर्माण की अनुमति दिया जाना उचित होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

21.11.2022

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म.प्र.

U.O.NO/Pccf/[illegible]WL/ 8438
DATE 21/11/2022